अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 683(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 267 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अलर्ट इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार-इंडिया एसोसिएशन) , 6 बी, मुख्याध्यापक भवन, तीसरी मंजिल, रोड सं0 24,सिआन (प0) , बम्बई-400022 द्वारा (क) ग्रेटर बम्बई और नई बम्बई में शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत कुष्ठ मरीजों (ख) नई बम्बई में तपेदिक नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत तपेदिक मरीजों का पता लगाने तथा उनके इलाज करने और (ग) आइरोली,बम्बई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष

1995-1996 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 17 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 217 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 305 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलर्ट इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार-इंडिया एसोसिएशन) , 6 बी, मुख्याध्यापक भवन, तीसरी मंजिल, रोड सं0 24,सिऑन (प0) , बम्बई-400022 द्वारा चलाई जा रही (क) ग्रेटर बम्बई और नई बम्बई में शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत कुष्ठ मरीजों (ख) नई बम्बई में तपेदिक नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत तपेदिक मरीजों का पता लगाने तथा उनके इलाज करने और (ग) आइरोली, बम्बई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल दो करोड, सत्तर लाख,दो हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 146/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)